

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा-41 नियम-19 संपादित धारा-151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत
कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.3.18

मेमाराम बनाम हर को पुन
बरामद कर सुनवाई में लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।
जो बाद जाँच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते
बहस दिनांक 28.3.18 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

28/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
वकील रजिस्ट्रार
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते
दिनांक 30/4/18 को पेश हो।

30/4/18

वकील इमरतुल्ला उपा
वकील इमरतुल्ला उपा की
वहम सुमी मरी पत्रावली वास्ते आदेश
10/5/18 से पेश हो।

10/5/18

वकील इमरतुल्ला उपा निर्णयानुसार उक्त
रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
मूल अपील संख्या 10/17 पुनः नंबर पर
लिखे जाने से आदेश प्रदान किया जाता
है। प्रार्थना पत्र केसल सुमार होकर वाय
अवबयम बाधवती दाखिल दफ्तर ही
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली